

प्रारूप - 2

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण-

- (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। **मीचली बौराड़ हरिजन वस्ती पेयजल योजना**
- (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। **संलग्न है।**
- (ग) परियोजना की लागत - **28.42 लाख**
- (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य - **सोल एव माइफ लाइन आश्रित वन क्षेत्र से गुजरती है।**
- (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए) - **लाभ नहीं**
- (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है - **लाभ नहीं**

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण-

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है-

- (क) परिवारों की संख्या - **लाभ नहीं**
- (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - **लाभ नहीं**
- (ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए) - **लाभ नहीं**

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)

प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

दिनांक

स्थान (विभासनगर)

De
प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल विभाग
नया चकराता (पुणेवा)

नाम मोहर
एस.के.बर्नवाल